

Nonjudicial stamp is 10/- enclosed



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

31- रुडकी विधान सभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, सुरेश चन्द जैन पुत्र/पुत्री/पत्नी विमल प्रसाद जैन
आयु 60 वर्ष, जो म.नं. 073, सिविल लाइन, रुडकी
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- X

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X

(ii) पुलिस थाना (थाने).....X जिला (जिलें)X राज्यX

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....X

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....X

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था.....X

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....X

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष सहसाया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- X

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... X

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... X


(iii) पुलिस थाना (थाने)..... X जिला (जिले) X
..... X राज्य..... X

(IV) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... X

(V) तारीखें (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... X

(VI) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... X


स्थान रुड़की
तारीख 8-1-2012.


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रुड़की स्थान पर आज तारीख 8-1-2012 को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

Identified By


Sworn and Affirmed
before me, Attested

Sunil Kumar Goyal
Advoc. & Notary
H.Q. Distt. Haridwar
8/1/12

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 619714

कोषाधिकारी (कलकत्ता),
कोड संख्या - 500

28 DEC 2011

जिला अधिकारी (उत्तराखण्ड)
2010-2011

श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री विमल प्रसाद जैन
निकासी - 800073, सिविल लाईन, रुड़की (जि. हरिद्वार)
के शपथपत्र के साथ संबन्ध -



(Signature)